"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अगस्त 2018 — श्रावण 12, शक 1940

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-6/2017/रास/यू.-15. — इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-6/2017/रास/यू.-15 दिनांक 02-06-2018 द्वारा कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु आठ सप्ताह की समयावधि में न्यूनतम पांच ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का पेनल प्रस्तुत करने के लिये छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रो. डॉ. एस. के. गाखर, संस्थापक कुलपति, चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी (हरियाणा) की अध्यक्षता में खोजबीन समिति का गठन किया गया है.

माननीय कुलाध्यक्ष, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा कुलपति नियुक्ति हेतु पांच ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का पेनल प्रस्तुत करने के लिये चार सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है.

हस्ता./-

(रोक्तिमा यादव)
राज्यपाल के उप सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.